

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसंचित जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे ज  
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
उन्नति विषय पर पूर्व में पत्र  
व्यवहार कुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
विषय लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसंचित,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक:एफ/महा.वि.प./2011/ 3526

दिनांक: 30/07/11

## // अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में  
परिनियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक  
(30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : जैन इन्स्टीट्यूट, शिवपुरी लिंक रोड, ग्वालियर

मनोनीत सदस्य : 1. श्री दशरथ सिंह गुर्जर, सदस्य, कार्यपरिषद्  
2. डॉ. कल्पना शर्मा, शासकीय महाविद्यालय, गुजरात

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अधिकारी  
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-

- सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
- प्राचार्य, जैन इन्स्टीट्यूट, शिवपुरी लिंक रोड, ग्वालियर की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में  
मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक  
बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक  
होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अवधि इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह  
भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा  
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का ठी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

अधिकारी  
महाविद्यालयीन विकास परिषद

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए जे  
कि किसी अन्य प्रदातिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर चट्ट पूर्व में पत्र  
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
आँख्य लिखा जाए तिससे सविया हो।



ग्राम : गृनीधसेटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्ट्र : (0751) 2341768

**प्रेषक :**

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/4329

दिनांक: 06/01/12

**// सूचना //**

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध जैन इंस्टीट्यूट, ग्वालियर (09425122474) को सत्र 2011-12 के लिये  
प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये  
मानकीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम  
27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. अशोक शर्मा, आचार्य, समाज कार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)  
(0751-2442841)
- (2) प्रो. अविनाश तिवारी, आचार्य, पूर्ण टैक्जोलॉजी अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) डॉ. रेणू श्रीवास्तव, प्राचार्य, बोर्सन कॉलेज, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुमतिप्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईनेस्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से निवेदन है कि वे उक्त निधारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई दौरी के लिए महाविद्यालय ख्यां उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वतः निरस्त हो समिति का पुर्णगठन किया जावेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना अन्त्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की होगा।

**प्रतिलिपि :-**

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निधारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

कुलसचिव

R.  
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)